नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 की अधिनियम संख्या 56) की धारा 23 के अनुसरण में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, नामतः

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. लघु शीर्ष, अनुप्रयोग और प्रारम्भ

(1) ये विनियम 'लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007' कहे जाएंगे।

(2) ये विनियम भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के अधिकारियों और स्टाफ तथा संघ सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा निकायों, प्राधिकरणों और उद्यमों, जिन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अथवा लेखा क्षेत्राधिकार लागू होता है, पर लागू होंगे।

(3) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(1) **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)** का तात्पर्य है भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के किसी लेखा कार्यालय का विभागाध्यक्ष चाहे उसका कोई भी पदनाम हो;

(2) **महालेखाकार (लेखापरीक्षा)** का तात्पर्य है भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के किसी लेखापरीक्षा कार्यालय का विभागाध्यक्ष चाहे उसका कोई भी पदनाम हो;

(3) **लेखा कार्यालय** का तात्पर्य है भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का एक ऐसा कार्यालय जो लेखे रखने के लिए उत्तरदायी खजानों, कार्यालयों अथवा विभागों द्वारा भेजे गए प्रारम्भिक और सहायक लेखाओं से लेखाओं के संकलन के लिए और सरकारी कर्मचारियों और कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों के सम्बन्ध में हकदारी कार्य के लिए उत्तरदायी हो;

(4) **लेखा अधिकारी** का तात्पर्य है एक ऐसा अधिकारी, जिसे चाहे किसी भी पदनाम से बुलाया जाए, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं अथवा हकदारी अथवा सम्बन्धित कार्य के लिए एक सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

(5) **लेखापरीक्षा** का तात्पर्य है लेखाओं, संव्यवहारों और अभिलेखों की जांच जो भारत के संविधान और अधिनियम में यथा निर्धारित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्यों के

निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हो और इसमें भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अवधारित निष्पादन लेखापरीक्षा अथवा किसी अन्य प्रकार की लेखापरीक्षा शामिल है। जब संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है तब यह पूरे लेखापरीक्षा विभाग अथवा संदर्भ के अनुसार इसके किसी भाग के लिए संदर्भित है;

(6) **लेखापरीक्षा बोर्ड** का तात्पर्य लेखापरीक्षा बोर्ड से है जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा गठित किया गया है;

(7) **लेखापरीक्षा विभाग अथवा लेखापरीक्षा संस्थान** का तात्पर्य है भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय जो भारत के संविधान और अधिनियम के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी हों;

(8) **लेखापरीक्षणीय सत्त्व** का तात्पर्य है वह कार्यालय, प्राधिकरण, निकाय, कम्पनी, निगम अथवा कोई अन्य सत्त्व जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन हो;

(9) **लेखापरीक्षा अधिदेश** का तात्पर्य है भारत के संविधान और अधिनियम के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्राधिकार और इसमें अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा सौंपी गई लेखापरीक्षा शामिल है;

(10) **लेखापरीक्षा ज्ञापन** का तात्पर्य है एक ज्ञापन अथवा पत्र जो सूचना को प्राप्त करने, तथ्यों की पुष्टि अथवा लेखापरीक्षा करते समय लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा आवश्यक माने गए किसी अन्य मामले के लिए लेखापरीक्षा के दौरान जारी किया गया हो;

(11) **आडिट नोट** का तात्पर्य है लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा जारी किया गया एक नोट जिसमें लेखापरीक्षा अथवा लेखा कार्यालय में उपलब्ध आंकडें, सूचना अथवा दस्तावेजों के संदर्भ में की गई लेखापरीक्षा के परिणाम दिए गए हों;

(12) **लेखापरीक्षा कार्यालय** का तात्पर्य है लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कोई कार्यालय;

(13) **लेखापरीक्षा अधिकारी अथवा लेखापरीक्षक** का तात्पर्य है एक ऐसा अधिकारी, जिसे चाहे किसी भी पदनाम से बुलाया जाए, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए एक सामान्य अथवा एक विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

(14) **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन** का तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत अथवा अधिनियम की धारा 19ए के अन्तर्गत अथवा संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 की धारा 49 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से है;

(15) **लेखापरीक्षा समीक्षा समिति** का तात्पर्य राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा गठित समिति से है;

(16) **लेखापरीक्षण मानकों** का तात्पर्य जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानकों से है;

(17) **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक** का तात्पर्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है, से है;

(18) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ **हकदारी** का तात्पर्य वेतन, भविष्य निधि अथवा पेंशन सम्बन्धी कार्य और सम्बन्धित कार्य से है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को करने होते हैं;

(19) **सरकार** का तात्पर्य है संघ सरकार, एक राज्य सरकार और/अथवा संघ राज्य क्षेत्र की सरकार जैसा संदर्भ में अपेक्षित हो;

(20) **सरकारी कम्पनी** का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 की अधिनियम संख्या 1) की धारा 617 के अन्तर्गत यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी से है;

(21) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ **मानी गई सरकारी कम्पनी** का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 बी के अन्तर्गत शामिल की गई एक कम्पनी से है;

(22) **मार्गनिर्देश** वे मार्गनिर्देश हैं जो अधिदेश को लागू करने के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए हैं। ये सामान्यतया व्यावसायिक मामलों, विशेषकर लेखापरीक्षा अथवा लेखाओं के उदभूत होने वाले और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर होते हैं। ये मार्गनिर्देश इन विनियमों के साथ संगत होने आवश्यक हैं और लेखापरीक्षा अधिकारियों और लेखा अधिकारियों द्वारा इनका अनुपालन आवश्यक है;

(23) **निरीक्षण अधिकारी** का तात्पर्य है एक ऐसा अधिकारी जो लेखापरीक्षा के लिए तैनात किए गए एक लेखापरीक्षा दल का प्रभारी हो;

(24) **निरीक्षण प्रतिवेदन** का तात्पर्य है लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा जारी किया गया एक प्रतिवेदन जिसमें लेखापरीक्षा के परिणाम दिए गए हों;

(25) **स्थानीय निधि लेखापरीक्षक** का तात्पर्य है एक लेखापरीक्षक, जिसे चाहे किसी भी पदनाम से बुलाया जाए, पंचायती राज संस्थानों और/अथवा शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए सामान्यतया एक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए;

(26) **प्रमुख अनियमितता** का अर्थ है (क) लेखापरीक्षा में ध्यान में आया संदिग्ध महत्त्वपूर्ण धोखाधड़ी अथवा भ्रष्टाचार का दृष्टांत अथवा (ख) गम्भीर स्वरूप की अनियमितता जिसमें सार्वजनिक निधियां शामिल हों विशेषकर जो कुप्रबन्धन, हानि, अपशिष्ट,

निरर्थक व्यय अथवा राजस्व की हानि से सम्बन्धित हो जो इस सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित आर्थिक सीमा से अधिक हो;

(27) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के **अधिदेश** का तात्पर्य है वह प्राधिकार जो भारत के संविधान और अधिनियम के अन्तर्गत लेखाओं और लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उनमें विहित हो;

(28) **प्रैक्टिस नोट्स** लेखापरीक्षा और लेखाकरण मामलों पर विस्तृत अनुदेश हैं। इनका नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी विनियमों, स्थायी आदेशों और मार्गनिर्देशों से संगत होना आवश्यक है;

(29) **पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन** का तात्पर्य है एक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिसमें किसी प्राधिकरण, निकाय अथवा निगम के लेखाओं पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां दी गई हों चाहे वह विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हों अथवा न हों;

(30) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के **स्थायी आदेश** प्रशासनिक मामलों पर आदेश सहित स्थायी स्वरूप के वे आदेश हैं जो अधिदेश को पूरा करने के लिए जारी किए गए हैं। इन्हें इन विनियमों के संगत होना आवश्यक है और लेखा अधिकारियों तथा लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा इनका अनुपालन आवश्यक है;

(31) **सांविधिक लेखापरीक्षक** का तात्पर्य है एक लेखापरीक्षक अथवा एक लेखापरीक्षण फर्म जिसे सरकारी कम्पनी अथवा मानी गई सरकारी कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नियुक्त किया गया है; और

(32) **अधिनियम** का तात्पर्य है नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 की अधिनियम संख्या 56) ;

इन विनियमों में प्रयुक्त परन्तु यहां परिभाषित न की गई सभी अन्य अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः संविधान में अथवा अधिनियम में दिया गया है।